

4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सम्पदा रजिद व भू.अ.नि. सम्पदा रजिद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सम्पदा रजिद/नाम्ब-तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सम्पदा रजिद तहसील सम्पदा रजिद व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2074-77 में खाता संख्या 47, 545, 546, 547, 549, 616, वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल 623 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>सम्पदा रजिद</u>	<u>47</u> <u>545</u> <u>546</u> <u>547</u> <u>549</u> <u>616</u> <u>623</u>	<u>उद्दीकृत पालि</u> <u>खिराजमिद</u> <u>जाति राजपूत</u> <u>सा. गोपालपुर</u>	<u>उद्दीकृत पालि</u> <u>खिराजमिद & जाति</u> <u>राजपूत सा. गोपालपुर</u>

पीठासीन अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कलक्टर एवं
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 3/3/25



कोर्ट/2025/06

1. तहसीलदार सम्पदा रजिद को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री उद्दीकृत पालि खिराजमिद को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,